कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्रथम तल, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 750 /सम्पदा गो–लाईव – 48/2015 भोपाल, दिनांक 17.06.2015

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश।

विषय – ई–रजिस्ट्रेशन की कानूनी वैधता।

दिनांक 01 जुलाई, 2015 से पूरे प्रदेश में दस्तावेजों का ई–पंजीयन एवं ई–स्टाम्पिंग विभागीय सम्पदा एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्रांरम्भ की जा रही है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफबी–4–08–2015–2–पांच (12) एवं अधिसूचना क्रमांक एफबी–4–08–2015–2–पांच (13), दिनांक 15 जून, 2015 द्वारा इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से ई–पंजीयन एवं इलेक्ट्रानिक स्टाम्पिंग प्रणाली से ई–स्टाम्पिंग को कानूनी वैधता प्रदान की गयी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि सम्पदा एप्लीकेशन के माध्यम से ई–स्टाम्पयुक्त ई–पंजीकृत दस्तावेजों को वही विधि–मान्यता प्राप्त होगी, जो पूर्व में छापित स्टाम्पों (impressed stamps) अथवा फेंकिंग किये गए (franked) स्टाम्पों को प्राप्त थी। इस संबंध में जिले की विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यालयों को ई–पंजीकृत दस्तावेजों की कानूनी वैधता के संबंध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि ई–पंजीकृत दस्तावेज उनके द्वारा विभिन्न कार्यवाही हेतु नियमानुसार मान्य किए जाएं।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 751 / सम्पदा गो–लाईव–48/2015 भोपाल, दिनांक 17.06.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश को पालनार्थ।
5. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।